कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-16.04.2024

विषयः- थाना चौबेपुर क्षेत्रान्तर्गत जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे से फायर करने के मामले में वांछित अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ मोनू गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध असलहा .303 बोर, एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 178/2024 धारा 307/504/506 भा0द0वि0 **थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित या** अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रप्रकाश सिंह ग्राम बभनपुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-16.04.2024 को समय करीब 11.10 बजे ग्राम बभनपुरा निर्माणाधीन पुल गंगा नदी के पास थाना चौबेपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध असलहा .303 बोर, एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 06/04/2024 को वादी मुकदमा राम सिंह यादव पुत्र श्री भगवानदास यादव ग्राम रैपुरा पोस्ट कमौली थाना चौबेपुर जिला वाराणसी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06.04.2024 शनिवार समय दोपहर 2.30 बजे प्रार्थी गेहूं की फसल कटवा रहा था तभी विपक्षी मोनू सिंह पुत्र बचवा सिंह निवासी ग्राम बभनपुरा थाना चौबेपुर, चन्द्रजीत यादव पुत्र स्व0 मेवा यादव निवासी सिंहवार थाना चौबेपुर, अमरजीत यादव पुत्र स्व0 मेवालाल यादव निवासी ग्राम सिंहवार थाना चौबेपुर आकर मुझको बिना किसी वजह के गाली गुप्ता देने लगे, प्रार्थी जब विरोध किया गया तो मोनू सिंह असलहा निकालकर मुझको जान से मारने के नीयत से लक्ष्य कर फायरिंग किया गोली मेरे शरीर के बायीं तरफ से निकल गयी जिससे मैं बाल-बाल बच गया। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के काफी लोग वहाँ जुटने लगे तो विपक्षीगण मोनू सिंह, चन्द्रजीत, अमरजीत मुझको जान से मारने की धमकी देते हुये वहाँ से भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 178/2024 धारा 307/504/506 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया। जिसकी उ0नि0 श्री पंकज कुमार राय थाना चौबेपुर वाराणसी द्वारा संपादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तारी व अवैध असलहे की बरामदगी के फलस्वरूप अभियोग में धारा 34 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि अमरजीत यादव निवासी ग्राम सिंहवार हमारा दोस्त है, एक साथ हम लोग रहते हैं, अमरजीत के परिवार से जमीन का विवाद रामसिंह यादव से चल रहा है जिसका मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है अमरजीत के परिवार के लोग रामसिंह यादव से काफी परेशान होकर विचार किये कि राम सिंह यादव का यदि काम तमाम कर दिया जाए तो विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्त होने के नाते मैं उसके विचार से सहमत होकर आपस में यह प्लान बनाया गया कि राम सिंह यादव को कहीं एकांत में मिलने पर काम तमाम कर दिया जाए इसके लिए अमरजीत यादव ने बिहार के अपने किसी दोस्त से जिसका नाम पता नहीं जानता उससे दो कट्टा मंगाया जिसमें एक कट्टा व दो कारतूस मुझे दिया व एक कट्टा व कारतूस

अपने पास रख लिया था। दिनांक 06/04/2024 को अमरजीत ने बताया कि रामसिंह यादव अपने खेत में गेहूं की फसल कटवा रहा है तब मैं अमरजीत व उनके भाई चन्द्रजीत यादव के साथ एक राय होकर जिसमें चन्द्रजीत और मै कट्टा लेकर तथा अमरजीत अपने हाथ में लाठी लेकर राम सिंह के पास पहुंचे कि कहा-सुनी के बीच जान से मारने की नीयत से मैनें उस पर फायर कर दिया, संयोगवश गोली रामसिंह को नहीं लगी, इसी बीच हो हल्ला होने के कारण हम लोग वहां से भाग गये। मेरे साथी का भाई चन्द्रजीत के पकड़े जाने के कारण डरवश मैं भी भागने के लिए खड़ा था और अमरजीत को मोबाईल से बुला रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गौरव सिंह उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रप्रकाश सिंह ग्राम बभनपुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 37 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम बभनपुरा निर्माणाधीन पुल गंगा नदी के पास थाना चौबेपुर वाराणसी, दिनांक 16.04.2024 समय करीब 11.10 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 पंकज कुमार राय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 दिलेश सरोज थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0प्रशिक्षु चन्द्रमोहन यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 अखिलेश यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 अनुज कुमार सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 दिलीप सरोज थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।